14036/600/2013-UT

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक , 2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत श्री जमसेद अली द्वारा दायर अपील।

जबकि श्री जमसेद अली पुत्र श्री नसीबुद्दीन निवासी म.स. सी-95, गली सं. 10, गांवड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली-110053 ने अपने दिनांक 09.07.2013 के आर टी आई आवेदन का उत्तर न दिए जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपनी दिनांक 22.08.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में दिनांक 27.09.2013 को प्राप्त) दायर की है।

2. जबकि, श्री जमसेद अली की दिनांक 3.5.2013 की शिकायत के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए उनका दिनांक 9.7.2013 का एक आर टी आई आवेदन, अनुभाग में दिनांक 13.08.2013 को प्राप्त हुआ था। आर टी आई की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित थी, इसलिए इसको हमारे दिनांक 22.08.2013 के पत्र सं. 14036/527/2013-यू टी पी के तहत सूचना प्रदान करने के लिए डी सी पी, दिल्ली पुलिस एवं लोक सूचना अधिकारी, आई पी एस्टेट नई दिल्ली को आगे अंतरित किया गया था।

3. जबकि, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (गृह मंत्रालय) के पास आवेदक के साथ साझा करने के लिए कोई सूचना नहीं थी और, दिनांक 22.08.2013 के पत्र सं. 14036/527/2013-यू टी पी (प्रति संलग्न) के तहत आर टी आई आवेदन को दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारी को विधिवत रूप से अंतरित कर दिया गया था, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की कार्रवाई सही है।

4. आवेदक, यदि इच्छुक हो तो, इस मामले में आगे किसी सूचना के लिए दिल्ली पुलिस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

(आई एस चहल)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में

श्री जमसेद अली पुत्र श्री नसीबुद्दीन
निवासी मकान सं.-सी 95, गली सं. 10
गांवड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली-110053

Issued
2584
11/11